



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-319

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 301170 दिनांक 12/06/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Jitendra Sidana S/o ANAND PRAKASH SIDANA	शर्मिला जोशी पुत्री श्री नारायण लाल जोशी	129	138.88 SQ. YARD	Private	NARAYAN VIHAR-C	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	आवेदक श्री जितेन्द्र सिडाना पुत्र श्री आनन्द प्रकाश सिडाना द्वारा आवेदन प्रस्तुत निजी खातेदारी की योजना नारायण विहार सी ब्लॉक के भूखण्ड संख्या 129 क्षेत्रफल 138.88 व0ग0 का लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। निजी खातेदारी की योजना नारायण विहार सी ब्लॉक के भूखण्ड संख्या 129 क्षेत्रफल 138.88 व0ग0 का पट्टा शर्मिला जोशी पुत्री श्री नारायण लाल जोशी के नाम जारी किया गया। तत्पश्चात् इनके द्वारा रजि0 उपहार पत्र दिनांक



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								16.11.2015 के माध्यम से श्री नारायण जोशी को उपहार किया गया। आवेदक द्वारा अपलोड दस्तावेजात अनुसार दिनांक 18.09.2024 को उपहार प्राप्तकर्ता श्री नारायण जोशी की मृत्यु होने पर इनके विधिक वारिसान श्रीमती सम्पत जोशी, अनिल जोशी, मीनाक्षी जोशी व शर्मिला जोशी दिनांक 02.02.2026 को श्री सुनिल जोशी के पक्ष में रजि0 हकत्याग किया गया है। तत्पश्चात् इनके द्वारा दिनांक 03.02.2026 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र के माध्यम से उक्त भूखण्ड का बैचान आवेदक श्री जितेन्द्र सिडाना पुत्र श्री आनन्द प्रकाश सिडाना को किया गया।
--	--	--	--	--	--	--	--	--

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपति online सबमिट करें, अन्यथा आपति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Jitendra Sidana S/o ANAND PRAKASH SIDANA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।